संख्या– 1281/XV-2/1(28)/2005

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 अक्टूबर, 2011

विषय– वित्तीय वर्ष 2011–12 में मत्स्य विभाग को आयोजनेत्तर में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–632/XV-2/1(28)/2005, दिनांक 20–04–2011 एवं शासनादेश संख्या–909/XV-2/1(28)/2005, दिनांक 11–07–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर में अवचनबद्ध मदों में मत्स्य विभाग को संलग्नक–1 में अंकित मदों में कुल धनराशि ₹ 766 हजार (₹ सात लाख छियासठ हजार मात्र) तृतीय त्रैमास हेतु आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. निदेशक, मत्स्य द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट कर पॉच दिवस के भीतर जिलास्तरीय अधिकारियों को एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. निदेशक, मत्स्य द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस. एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
5. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
6. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

क्रमशः2

7. व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।
8. नये पदों के सृजन/ढ़ाचे, नयी नीति निर्धारण अथवा वर्तमान नीति में संशोधन, करों/यूजर चार्जेज में संशोधन, निधियों का गठन, अनुदान राशि में संशोधन, नियमावलियां आदि सभी प्रकरण शासन को भेजे जाये ताकि वित्त विभाग के परामर्श से अनुमोदन दिया जा सके।
9. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेंगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सके।
10. सुनिश्चित किया जायेगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गयी सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1), दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा प्राप्त निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(विनोद फोनिया)
सचिव ।

संख्या–128 /XV-2/1(28)/2005तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु ।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–1281/XV-2/1(28)/2005, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 का संलग्नक–I

(धनराशि ₹ हजार में)

मद संख्या एवं मद का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि
2405–मछली पालन–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान	
04–यात्रा व्यय	100
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12
07–मानदेय	5
08–कार्यालय व्यय	75
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	37
12–कार्यालय फनीचर एवं उपकरण	12
13–टेलीफोन पर व्यय	37
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	150
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	125
18–प्रकाशन	5
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	6
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	25
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	75
29–अनुरक्षण	19
42–अन्य व्यय	12
44–प्रशिक्षण व्यय	12
45–अवकाश यात्रा व्यय	12
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	12
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25
योग:–	766

कुल धनराशि ₹ 766 हजार (₹ सात लाख छियासठ हजार मात्र)

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।